न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

<table>
<tr><td>आदेश की क0सं0 एवं तिथि</td><td>

आदेश

वाद सं0 एम0 46/2021

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष –बालमुकुंद सिंह ...... बगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष – भागेश्वर सिंह ....बगैरह।

</td><td></td></tr>
<tr><td>1
06/5/22</td><td>

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, पालकोट के अप्राथमिकी सं0 03/2022 दिनांक 10/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) बालमुकंद सिंह उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 यदुनाथ सिंह (2) गणेश सिंह उम्र 45 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (3) योगेन्द्र सिंह उम्र 42 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (4) दामोदर सिंह उम्र 38 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (5) शंकर सिंह उम्र 35 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह सभी ग्रम कुरूम ढोलसेरा थाना पालकोट, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) भागेस्वर सिंह उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 उदयवरण सिंह (2) दिलू सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 उदय वरण सिंह (3) गजिन्दर सिंह उम्र 20वर्ष पिता भागेस्वर सिंह ग्राम कुरूम ढोलसेरा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा कुरूम के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 1753,1754 रकबा 0.58, 0.26 एकड़ भूमि में द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना दखल बतलाकर अवैध रूप से मकान बनाने को लेकर उभय पक्षो के बीच अपना दखल व बंटवारा को लेकर आपसी विवाद एवं तनाव बना हुआ है, शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना बसिया द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी बसिया के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए है किसी प्रकार का उक्त विवाद के संबंध में कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

उक्त वाद में उभय पक्ष अपने प्रधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है पुलिस जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद्गत भूमि मौजा कुरूम के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 1753,1754 रकबा 0.58, 0.26 एकड़ भूमि से संबंधित है।
उभय पक्षकारो के द्वारा उक्त भूमि वाद के संबंध में किसी प्रकार का जवाब एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

अतः उक्त वाद की कारवाई में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना पालकोट एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।
लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

</td><td></td></tr>
</table>

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.08.24 13:34:28 +05:30
Location: 192.168.1.6